दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के फ्लैट के स्वामित्व के परिवर्तन पर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर

634. **श्री गया सिंह :**
श्री चतुरानन मिश्र :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 1994 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ओनरशिप चेंज्ड ओल्ड कपल डिप्राइवड आफ फ्लैट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिलशाद गार्डन में एक एम.आई.जी. फ्लैट नं० सी-2/एफ-2 प्रारंभ में श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी को आवंटित किया गया था। दि.वि.प्रा. के फ्लैटों को लीज़ होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन बाबत भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना एक साधारण मुख्तार-नामा धारक श्री अजय श्रीवास्तव ने अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित इस फ्लैट के परिवर्तन हेतु आवेदन किया। निर्धारित जांच-पड़ताल के पश्चात, इस मामले में श्री अजय श्रीवास्तव के नाम में लीज़ होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन की अनुमति दे दी गई थी।

तत्पश्चात, श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी ने एक आवेदन पत्र दिया और आरोप लगाया कि दि.वि.प्रा. ने उक्त फ्लैट के परिवर्तन की अनुमति जाली दस्तावेजों के आधार पर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके तथा श्री अजय श्रीवास्तव, जोकि उक्त फ्लैट में उनका किरायेदार है, के बीच सिविल कोर्ट में एक मामला लम्बित है। अन्तत. श्रीमती सुरिन्द्र ने दि.वि.प्रा. से श्री अजय श्रीवास्तव के पक्ष में जारी किये गये अन्तरण विलेख को रद्द करने का अनुरोध किया है। निम्नलिखित कारणों से अभी तक उसे रद्द नहीं किया गया है :—

(1) इस परिवर्तन मामले संबंधी फाइल गायब है। इस बाबत 30-3-94 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले बाबत पुलिस की रिपोर्ट भी प्रतीक्षित है।

(2) दस्तावेजों के जाली होने बाबत जांच की जानी है। अभी तक हस्तलेख विशेषज्ञ का राय नहीं ली गई है।

(3) श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी ने धोखाधड़ी के आरोप बाबत पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई है। इस संबंध में पुलिस जांच का निष्कर्ष अभी ज्ञात नहीं है।

(4) कानूनी परामर्श यह है कि दि.वि.प्रा. द्वारा अन्तरण विलेख रद्द किये जाने से पूर्व श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी को अपने अधिकारों बाबत न्यायालय से निर्णय लेना चाहिए।

(5) दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किए गए नोटिस के उत्तर में, श्री अजय श्रीवास्तव ने बताया है कि श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी ने यह फ्लैट उन्हें बेच दिया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू. डी.) द्वारा सुपर बाजार का रख-रखाव

635. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :**
श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सुपर बाजार को आवंटित भवनों की मरम्मत/परिवर्तन करने का कार्य कर रहा है ;